न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 14/2021 G.C.M.S. No. 2021/46 दर्ज दिनांक : 23.02.2021

अपीलार्थिगण:

1. लक्ष्मणसिंह पुत्र इन्द्रसिंह, जाति राजपूत उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम भारून्दा, तहसील सुमेरपुर जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. विजयसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह
2. सुमेरसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह
3. पवन कंवर पत्नि राजेन्द्रसिंह
4. माधुसिंह पुत्र रूपसिंह
5. हडमतसिंह पुत्र रूपसिंह
6. श्रवणसिंह पुत्र रूपसिंह
7. हवनकंवर पत्नि रूपसिंह, तमाम जातिगण राजपूत, निवासी ग्राम भारून्दा, तहसील सुमेरपुर जिला पाली।
8. सरूपसिंह पुत्र इन्द्रसिंह
9. छगनकंवर पत्नि भूरसिंह
10. चंदनसिंह पुत्र भूरसिंह
11. गुलाबसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
12. दीपसिंह पुत्र भूरसिंह तमाम जातिगण राजपूत, निवासी ग्राम भारून्दा, तहसील सुमेरपुर जिला पाली।
13. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर, जिला पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व विविध संख्या 57/2018 बअनवान सरूपसिंह बनाम विजयसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 27.10.2020 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री नारायणलाल कुमावत, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट्स।

निर्णय

दिनांक: 30.06.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व विविध संख्या 57/2018 बअनवान सरूपसिंह बनाम विजयसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 27.10.2020 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अपीलांट तथा रेस्पोंडेण्ट संख्या 08 से 12 ने अधीनस्थ न्यायालय मे अन्य रेस्पोंडेण्ट संख्या 01 से 07 एवं 13 के के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे एक वाद अन्तर्गत

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

धारा 88, 92 ए. 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का प्रस्तुत किया तथा साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा सरहद भारून्दा तहसील सुमेरपुर में अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्ट संख्या 08 से 12 तथा रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 7 की कृषि भूमि आई हुई हैं एवं उसके मध्य पुश्तैनी माठ आई हुई हैं। अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्ट संख्या 08 से 12 कृषि भूमि मय बेरा के खसरा नम्बर 799, 800, 801, 802, 803 कुल रकबा 5.11 हैक्टेयर आया हुआ है। जो वर्तमान जमाबंदी रेकर्ड मे इन्द्राज है, लेकिन सेटलमेंट से पूर्व जमाबंदी संवत 2024 से 2027 में उपरोक्त भूमि के खसरा नम्बर 832, 835, 831, कुल रकबा 33/1 आई हुई थीं। जिससे यह स्पष्ट है कि सेटलमेंट विभाग ने पुराने रकबे से नया रकबा उपरोक्त कृषि भूमि का कम इन्द्राज किया है एवं सेटलमेंट पूर्व ट्रेस नक्शा में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य की सीमांकन नक्शा लाईन एकदम सीधी है। किन्तु सेटलमेन्ट में राजस्व नक्शा में ट्रेक्श नक्शा मे उक्त लाईन को हेराफेरी कर सीमीट्री लाईन में हेराफेरी कर टेढ़ी कर दी, जो सलंग्न नक्शों से स्पष्ट है। प्रार्थीगण ने अपने हक, हिस्से की कृषि भूमि संवत 2024 से आज दिन तक किसी को बेचान, बख्शीश, रहन आदि नहीं किया है। अप्राथीगण के सेटलमेन्ट सें पूर्व से कृषि भूमि खसरा नम्बर 433, 434, कुल रकबा 22ऽ/1 थी। जो वर्तमान जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 में खसरा नम्बर 804, 805, 806, 807 कुल रकबा 3.68 हैक्टेयर यानि 23 बीघा कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जिसमें अप्रार्थीगण के खातेदारी भूमि में सेटलमेन्ट के बाद अपनी खातेदारी भूमि से अधिक दर्ज की गयी, जो सलंग्न जमाबंदी से स्पष्ट है। अप्रार्थीगण द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय सुमेरपुर से राजस्व भूमि का सीमाज्ञान खसरा नम्बर 804, 805, 806, 807 का सीमाज्ञान करवाया गया, जिससे प्रार्थीगण को हल्का पटवारी भारून्दा द्वारा चिन्ह निशानों द्वारा ज्ञान हुआ है। वर्तमान में नक्शा ट्रेस अलग से दर्ज किया गया है, किन्तु हम प्रार्थीगणों की कृषि भूमि पूर्व जमींदारी प्रथा से आज दिन तक पुश्तैनी भूमि है एवं सेटलमेंट से पूर्व कृषि भूमि नक्शा ट्रेस अनुसार थी तथा वर्तमान में भी उसी अनुसार है तथा सेटलमेंट की पूर्व स्थिति अनुसार प्रार्थीगण सेटलमेन्ट के नक्शेनुसार काबिज काश्त है। इस प्रकार से उपरोक्त तथ्य अनुसार प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार चाही गयी कि सेटलमेन्ट के पूर्व के नक्शे की स्थिति अनुसार प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि में अप्रार्थीगण अनाधिकृत रूप से प्रवेश नहीं करें तथा उपरोक्तानुसार खातेदारी भूमि में प्रार्थीगण स्वयं या अन्य किसी व्यक्ति से दखलंदाजी नहीं करावें व सेटलमेन्ट के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

पूर्व के नक्शे के अनुसार राजस्व रेकर्ड की मौके की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश प्रदान करावें, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात दोनों पक्षों को सुनकर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 27.10.2017 को अपीलांट की जानकारी के बिना ही जैर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं कि यह स्पष्टतः राजस्व रेकर्ड में अंकित है कि अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्ट संख्या 08 से 12 खातेदारी उपरोक्त कृषि भूमि का सेटलमेन्ट के बाद रकबा कम हुआ है तथा रेस्पोंडेण्ट संख्या 01 से 07 का उपरोक्त कृषि भूमि का सेटलमेन्ट के बाद रकबा बढ़ा है। जबकि कानूनन सेटलमेन्ट विभाग को किसी भी खातेदार की कृषि भूमि रकबा को बढ़ाने व घटाने का कोई हक अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा विधिविरूद्ध तरीके से अपीलांट व रेस्पोंडेण्ट संख्या 08 से 12 की खातेदारी कृषि भूमि का सेटलमेन्ट में रकबा कम करते हुए रेस्पोंडेण्ट संख्या 01 स 07 का खातेदारी कृषि भूमि का रकबा बढ़ाकर विधि विरूद्ध तरीके से उपरोक्त रकबा घटाया–बढ़ाया, जो सेटलमेन्ट विभाग को कोई हक अधिकार नहीं था, जबकि अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्ट संख्या 08 से 12 सेटलमेंट की पूर्व की स्थिति अनुसार अपने खातेदारी कृषि भूमि के रकबे के अनुसार व सलंग्न नक्शे अनुसार काबिज काश्त है। इस कारण से जैर अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध तरीके से पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने निर्णय में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्ट के कृषि भूमि बाबत सेटलमेन्ट पूर्व व सेटलमेंट बाद के नक्शे में दोनों के बीच की मेड़ को जो पहले सीधी थी, जिसको सेटलमेन्ट के बाद टेढी कर दी गई, जो अपीलाण्ट की खातेदारी कृषि भूमि की अन्दर की ओर से टेढी की गयी जबकि मौके पर आज भी सेटलमेंट के पूर्व की स्थिति अनुसार काबिज काश्त है तथा दोनों के मध्य की माठ मौके पर सीधी है। उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने सेटलमेन्ट से पूर्व व बाद के अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्ट के कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड को विधिपूर्ण तरीके से परीक्षण नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने द्वारा पारित निर्णय में यह अंकित किया है कि प्रार्थी अपीलांट का रकबा कम हुआ है तथा दूसरी और रेस्पोंडेण्ट संख्या 01 स 08 की कृषि भूमि का रकबा बढ़ना भी अंकित कर रहा है व दोनों की बीच की मेड़ भी सेटलमेन्ट के बाद टेढ़ी होना मान रहा है। इसके अतिरिक्त जैर अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को नहीं थीं। दिनांक 18.02.2021 को अपीलांट अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में पता करने पर जानकारी हुई कि दिनांक 27.10.2020 को जैर अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

आदेश पारित कर दिया है। जिस पर उसी दिन नकल हेतु आवेदन कर दिनांक 22.02.2021 को नकल प्राप्त करने पर जानकारी की दिनांक से यह अपील अतिशीघ्र प्रस्तुत की जा रही हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट संख्या 8 से 12 द्वारा रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 7 के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रेकर्ड में संशोधन व दुरूस्तीकरण व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.10.2020 द्वारा खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 23.02.2021 को विलंब के साथ प्रस्तुत की गई। अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट को अपीलाधीनअ आदेश की जानकारी नहीं थीं। दिनांक 18.02.2021 को प्रार्थी अधिवक्ता से संपर्क करने पर अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में पता करने पर जानकारी हुई कि दिनांक 27.10.2020 को जैर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है। जिस पर दिनांक 22.02.2021 को नकल प्राप्त होने पर अपील पेश की गई। अपीलांट वृद्ध ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अंदर म्याद शुमार फरमावें।
2. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी के कथनों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट अधिवक्ता की उपस्थिति में उनके द्वारा बहस किये जाने पर पारित किया है। जिससे अपीलांट ने इंकार नहीं किया है। अधिवक्ता से संपर्क नहीं करना अपीलांट्स की लापरवाही है तथा इस कारण से म्याद में छूट नहीं दी जा सकती। अतः विलंबकाल माफी योग्य नहीं होने से अपील म्याद बाहर है।
3. हमारे विनम्र मत में चूंकि प्रथम तो प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं, साथ ही प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी, प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए तथा इसके लिए उभयपक्षकारान को सुना जाना प्राकृतिक न्याय की पूर्व आवश्यकता है। प्रकरण में अपीलांट्स की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

लापरवाही या उदासीनता से विलंब कारित होना साबित नहीं होता है। अतः विलंबकाल सद्भाविक व युक्तियुक्त होने से माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

4. पत्रावली व अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान की समुचित सुनवाई उपरांत विस्तृत विवेचन के साथ अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि भूप्रबंध कार्यवाही से न केवल प्रार्थीगण अपीलांट्स की आराजीयात का रकबा कम हुआ है, बल्कि रेस्पोंडेंट्स अप्रार्थीगण की आराजीयात का रकबा भी कम हुआ है। उक्त कम रकबा किन खसरों में शामिल होकर बेसी रकबा हुआ है, यह वादपत्र के मुख्य अनुतोष से संबंधित है। जिसका निर्णयन उभयपक्षकारान की साक्ष्य उपरांत गुणावगुण के आधार पर वादपत्र के निर्णयन के साथ ही किया जा सकता है। हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में इस संबंध में किसी प्रकार का अभिमत अपेक्षित नहीं हैं। लेकिन यह स्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलांट प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथमदृष्टया मामला स्थापित नहीं हुआ है। इसी प्रकार चूंकि प्रकरण भूप्रबंध कार्यवाही से संबंधित है तथा दोनों पक्षकारान अपनी वर्तमान आराजीयात पर काबिज काश्त है। अपीलांट प्रार्थीगण की आराजीयात का कम हुआ रकबा रेस्पोंडेंट्स की आराजीयात में ही शामिल हुआ हों, यह इस स्तर पर न तो निर्धारित किया जा सकता है एवं न ही अपीलांट द्वारा प्रथमदृष्टया इस तथ्य को सिद्ध किया है। चूंकि रेस्पोंडेंट्स वादग्रस्त अपीलाधीन आराजीयात के अभिलिखित खातेदार है। अतः ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन रेस्पोंडेंट्स के पक्ष में माने जाने का पर्याप्त आधार है तथा यदि अभिलिखित खातेदार रेस्पोंडेंट्स को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो निःसंदेह उक्त खातेदारान को अपने काश्तकारी अधिकारों के समुचित उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न होगी। अतः रेस्पोंडेंट्स को अपूर्णीय क्षति संभव है। अतः हमारे विनम्र मत में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में किसी प्रकार की त्रुटि या विधिविरूद्धता कारित करना प्रकट व साबित नहीं होता है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपीलांट अपील को बखूबी साबित करने में सफल नहीं हुआ है। लिहाजा, अपील अपीलांट खारिज करते हुए अपीलाधीन आदेश की पुष्टि किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व विविध

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 57/2018 बअनवान सरूपसिंह बनाम विजयसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 27.10.2020 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner